Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAR-APRIL, 2021, VOL- 8/64

राश्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)– एक विश्लेशण

डॉ0 अखिलेश कुमार सिंह

असि0प्रो0(बी0एड0), राठ महाविद्यालय, पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Abstract

शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परिवर्तनों के साथ इसरो के पूर्व प्रमुख एवं प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्मविभूशण डॉ० के० कस्तुरीरंगन जी की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर आधारित नई राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने 29 जुलाई सन् 2020 को मंजूरी दी। शिक्षा किसी भी राश्ट्र और वहां के निवास करने वाले लोगों के विकास और सशक्तिकरण का आधार होती है। शिक्षा से तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी शिक्षा से है जो वास्तव में किसी व्यक्ति को मानव बना सके तथा उसके मूल्यों की पहचान करा सके। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए सर्वश्री नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि शिक्षा सबसे भाक्ति ाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते है।

राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के स्थान पर देश की नई राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लाया गया है, जो Read to Learn के स्थान पर Learn to Read पर अधिक फोकस करती है। भारतवर्श के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए दे I की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक और 650 जिलों से विचार लिये गये। इसमें शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापक स्तर पर छात्रों से भी सुझाव लेकर उनका मंथन किया गया । जन आकांक्षाओं के अनुरूप एवं राश्ट्रीय आव यकता और चुनौतियों के अनुरूप नई शिक्षा नीति, 2020 की घोशणा की गई है। नई राश्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 संयुक्त राश्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्य – 4 के अनुरूप है, जो सबके लिए समावेशी न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन ज्ञानार्जन के अवसरों का बढ़ाने पर जोर देती है। वर्तमान राश्ट्रीय शिक्षा नीति वैश्विक दृश्टिकोण के साथ भारत केंद्रित है। यह मानवाधिकारों, संवहनीय विकास और जीवनशैली तथा वैश्विक कल्याण के लिये प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाले ज्ञान, कौशल, मूल्य और आचरण को स्थापित करती है। राश्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के साथ–साथ ग्रामीण और भाहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राश्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है। इस नीति का उद्देश्य धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

राश्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) का दृश्टिकोणः–

इस राश्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जो सभी का उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैि वक ज्ञान महा ाक्ति बनाकर भारत को एवं जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौ ाल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन – यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

भारत सरकार की नई शिक्षा नीति – 2020, 21 वीं सदी के लिए भारत केंद्रित और जीवंत ज्ञान समाज के निर्माण के संकल्प के साथ प्रस्तुत हुई है। साथ ही साथ यह एक समावेशी दृश्टि अपनाते हुए भारत के भविश्य की रचना के लिए प्रतिश्रुत है। भारत को केंद्र में रखकर शिक्षा पर विचार करना उन सभी लोगों के लिए सुखद और संतोशदायी अनुभूति है जो उसके विस्मरण, उपेक्षा या अवांछित प्रस्तुति से खिन्न रहा करते थे। ऐसे ही ज्ञान (केद्रित) समाज का विचार भी भारतीयों के लिए संतोशदायी प्रतीत होता है, जो ज्ञान को पवित्र, क्ले ा दूर करने वाला, मुक्ति देने वाला मानते है। यह जरूर आ चर्यजनक है कि स्वामी विवेकानंद के आधे–अधूरे वक्तव्य के अलावा कोई सार्थक भारतीय विचार उल्लेख करने योग्य नहीं मिला। ज्ञानियों की ओर समृद्ध ज्ञान की भांकराचार्य, तिरूवल्लुवर से लेकर कबीर तक भाास्त्रीय और लोक प्रचालित अनेक परंपराएं भी पूरे भारत में मौजूद हैं।

10+2 शिक्षा प्रणाली तथा 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली संरचना में अंतर

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

	10+2 प्रणाली संरचना	5+3+3+4 प्रणाली संरचना
संरचना	मौजूद भौक्षणिक संरचना	नई भौक्षणिक संरचना
चरण	2 चरण	4 चरण
आयु अवधि	6 से 18 वर्श	3 से18 वर्श
समय सीमा	12 वर्श स्कूल	15 वर्श (12 स्कूल वर्श +3 प्री–स्कूल वर्श)
चरण वार	प्रथम चरण–उम्र 6–16 वर्श (कक्षा 1 से 10) द्वितीय चरण– उम्र 16–18 वर्श (कक्षा 11 से 12)	मूलभूत चरण – 3 वर्श (प्री–स्कूल) (उम्र 3–6) + 2 वर्श प्रारंभिक चरण – 3 वर्श (कक्षा 3 से 5) (उम्र 8–11) मध्य चरण – 3 वर्श (कक्षा 6 से 8) (उम्र 11–14) माध्यमिक चरण – 4 वर्श (कक्षा 9 से 12) (उम्र 14–18)

राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा 10+2 शिक्षा प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित किया गया है। 5+3+3+4 स्कूल प्रणाली का अर्थ निम्न प्रकार से है –

1. 5–5 वर्श–प्री–स्कूल और कक्षा – 1 और 2 (आयु समूह 3 से 8 वर्श के छात्र) सहित मूलभूत चरण।
2. 3–3 वर्श–कक्षा 3 से 5 तक की प्रारंभिक अवस्था (8 से 11 वर्श की आयु के छात्र)।
3. 3–3 वर्श–कक्षा 6 से 8 तक सहित मध्य चरण (11 से 14 वर्श की आयु के छात्र)।
4. 4–4 वर्श कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक चरण (14 से 18 वर्श की आयु के छात्र)।

राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में क्षेत्रीय भाशा तथा मातृभाशा को बढ़ावा दिया गया है। कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाशा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाशा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही साथ इस नीति में मातृभाशा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने को सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाशाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

किसी भी छात्र पर भाशा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। साथ ही साथ इस शिक्षा नीति में संकाय (Faculty) पर पाबंदी भी बंद हो जायेगी, जिस छात्र ने विज्ञान पढ़ा है, वह समाजशास्त्र या इतिहास भी पढ़ सकेगा और जिस छात्र ने समाज ाास्त्र या इतिहास या कॉमर्स पढ़ा है, वह गणितशास्त्र, भौतिक विज्ञान की भी शिक्षा ले सकेगा। इससे छात्रों में अन्तर्विशयक ज्ञान हो सकेगा। ऐसी नीति अमेरिका तथा यूरोप के दे ाों में भी लागू है। इस नीति से स्नातक की शिक्षा में कला, विज्ञान, कॉमर्स जैसे विशयों का समन्वय मिल सकेगा।

नई राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में स्कूली एवं उच्च शिक्षा में व्यापक परविर्तनकारी सुधारों के प्रावधान किये गये है। इस नई शिक्षा नीति के साथ–साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में प्री– प्राइमरी से ग्रेड 12 तक यूनिवर्सल एक्सेस प्रदान करना। प्रारम्भिक शिशु, विकास, देखभाल और शिक्षा पर काम करते हुए सन 2025 तक 3 से 6 साल के बीच सभी बच्चों को शिक्षा, साथ ही साथ ग्रेड 1 से 3 तक प्रारंभिक भाशा और गणितीय कौ ाल पर ध्यान दिया जाएगा। कक्षा 5 तक प्रारंभिक भाशा और गणितीय कौ ाल पर ध्यान दिया जाएगा। कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम तथा कक्षा 8 तक घरेलू भाशा/मातृभाशा/क्षेत्रीय भाशा हो। यह नि ि चत किया जायेगा। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जायेगा। पढ़ाई की परीक्षा लेने के बजाय मूल क्षमताओं की परीक्षा ली जायेगी। सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोंर्डो के लिए छात्र क्षमता निर्धारण और मूल्यांकन के लिए मानक मानदंड निकाय के रूप में नया राश्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना होगी। शिक्षा के लिए सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित समूहों, बालिकाओं, सामाजिक – सांस्कृतिक पहचान वाले बच्चों पर जोर दिया जाएगा, जिससे समान और समावे ाी शिक्षा का विकास हो। एन०सी०टी०ई० के द्वारा शिक्षकों के लिए राश्ट्रीय व्यवसायिक मानकों (एन०पी०एस०टी०) का एक सामान्य मार्गद ार्क सेट 2022 तक विकसित कराया जाएगा। सन् 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचय कराया जायेगा।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की प्रमुख विशेशताएं

राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख रूप से विशेशताएं निम्नलिखित है–

1. छात्र की विशिश्ट क्षमताओं की पहचान करके, इनके अनुरूप प्रोत्साहन करना।
2. शिक्षा में लचीलापन ताकि शिक्षा को बोझ नहीं बल्कि रूचिकर बनाया जा सके।
3. कला और विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों तथा व्यवसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच कठोर विभाजन नहीं।
4. विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेलों के बीच बहुविशय और समग्र शिक्षा।
5. शिक्षा में नवोन्मेश, रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना।
6. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहन करना।
7. शिक्षण और ज्ञानार्जन में बहुभाशावाद और भाशा क्षमता को बढ़ावा देना।
8. शिक्षण और ज्ञानार्जन में प्रौद्योगिकी में विस्तृत उपयोग, भाशा के अवरोधों को दूर करने तथा दिव्यांग छात्रों के लिए पंहुच बढ़ाने पर जोर।
9. सभी छात्र तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल कर सके, इसको प्राथमिकता दी गई है।
10. विद्या को रटाने के बजाय विशय की समझ विकसित करना।
11. शिक्षा में तार्किकता, रचनात्मकता, नवोन्मेश तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना।
12. शिक्षा के माध्यम से संचार, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलेपन जैसी जीवनशैली का विकास करना।
13. विविधता और स्थानीय संदर्भों का सम्मान करना।
14. भौक्षिक फैसलों को न्यायसंगत एवं समावे ाी बनाना।
15. स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक के प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में तालमेल बनाना।
16. शिक्षा प्रणाली के रेगुलेशन प्रणाली को सही करना, जिससे भौक्षिक प्रणाली में पारदर्शिता, ईमानदारी तथा कुशल शैक्षिक संकाय का निर्माण हो सके।
17. उत्कृश्ट शिक्षा और विकास के लिए विशिश्ट शोध को बढ़ावा देना।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

18. सभी भौक्षिक फैसलों में पूर्ण न्यायसंगता और समावेशन।
19. शुरूआती बाल्यावस्था देखभाल से लेकर स्कूली और उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल।
20. सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश पर जोर देना।
21. लोकोपकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने और सुगम बनाने का सुझाव।
22. नई राश्ट्रीय शिक्षा नीति में पठन–पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधारित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी केंद्रित नई व्यवस्था लाकर समूची प्रणाली में बदलाव लाने पर जोर दिया गया है।
23. नई शिक्षा नीति में सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराने पर जोर दिया गया है।
24. नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों, शिक्षकों के आंकलन की प्रक्रिया के तौर– तरीकों, प्रारूप और क्रियान्वयन को नया रूप प्रदान किया गया है।
25. नीति में बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव लाकर उन्हें और प्रामाणिक बनाना, बच्चों पर पुस्तकों का बोझ कम करने ओर कोचिंग की व्यवस्था समाप्त करने पर विशेश जोर दिया गया है।
26. नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
27. नीति में एस०सी०, एस०टी०, ओ०बी०सी० और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से सम्बन्धित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता करने पर विशेश जोर दिया गया है। निजी क्षेत्र में भी कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, इसका भी इस नीति में जिक्र किया गया है। निजी क्षेत्र के संस्थानों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने की बात कही गयी है।
28. इस नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण , प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों को पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को समक्ष बनाया जाएगा।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्श 20230 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio–GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राश्ट्रीय मि ान (National Mission On foundation Literacy and Numeracy) की स्थापना उका प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्श 2025 तक कक्षा– 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौ ाल सुनि ि चत किया जाएगा। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल–कूद, योग, नृत्य, मा ार्ल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जायेगी ताकि बच्चे भाारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम आदि में भाग ले सके। इस नीति में कक्षा 6 से ही भौक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को भाामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जायेगी। राश्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशद के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिये राश्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जायेगी।

राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जायेगा। इसमें भविश्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्र न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानव निर्धारक निकाय के रूप में परख (PARAKH) नामक एक नए राश्ट्रीय आंकलन केंद्र (एन०ए०सी०) की स्थापना की जायेगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविश्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificail Intelligence-AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग। राश्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिशद द्वारा वर्श 2022 तक शिक्षकों के लिए राश्ट्रीय व्यवसायिक मानक (N.P.S.T) का विकास किया जाएगा तथा साथ ही साथ राश्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिशद द्वारा एन०सी०ई०आर०टी० के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राश्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेक्षा' (एन०सी०एफ०टी०ई०) का विकास किया जायेगा। वर्श 2030 तक अध्यापन के लिए

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

न्यूनत डिग्री योग्यता 4 वर्शीय एकीकृत बी०एड० डिग्री का होना अनिवार्य किया जायेगा। इस नीति में एक स्वायत्त निकाय के रूप में राश्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एन०ई०टी०एफ०) का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन, योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान–प्रदान किया जा सकेगा। डिजीटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा, जो डिजीटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्णाण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी। इस नीति में आकांक्षी जिले (Aspirational Districts) जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र मिलते है। उन्हें विशेश शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जायेगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सरकार सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड (Gender Inclusion Fund) की स्थापना करेगा।

राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रावधान किये गये है–

1. उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ration) को 26.3% (वर्श 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ दे ा के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
2. स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्श के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेगें और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्शों के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्शों के बाद शोध के साथ स्नातक।
3. विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों सें प्राप्त अंकों या क्रेडिट कों डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक **'एकेडिमिक बैंक ऑफ क्रेडिट'** (A.B.C) दिया जाएगा ताकि अलग–अलग संस्थानों में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सकें।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

4. राश्ट्रीय शिक्षा निति के तहत एम0फिल0 (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिशद् (Higher Education Commission of India-HEC) की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय उच्च शिक्षा परिशद (HECI) के कार्यों के प्रभावी निश्पादन के चार निकाय है :–

1. राश्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिशद (National Higher Education Regulatry Council-NHERC):- यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए नियामक का कार्य करेगा।
2. सामान्य शिक्षा परिशद् (Gerneral Education Council-GEC):-यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।
3. राश्ट्रीय प्रत्यापन परिशद् (National Accrediation Coincil-NAC)-यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडो सार्वजनिक स्व. प्रकटीकरण, सु ाासन और परिणामों पर आधारित होगा।
4. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिशद् (Higher Education Grants Council-HEGC):- यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोशण का कार्य करेगा।
5. देश में आई0आई0एम0 के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविशयक शिक्षा एव अनुसंधान वि ववविद्यालय (Multidiscipllinary Education and Reserch Universities-MERU) की स्थापना की जाएगी।

इस प्रकार राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वि ले ण करने से स्पश्ट हो जाता है कि 34 वर्शों के बाद राश्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदुस्तान की समृद्ध ााली परंपरा के

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तहत तैयार की गई है। इसकि दृश्टि अत्यंत व्यापक और दीर्धकालिक है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को पारद र्ी कार्यप्रणाली और सभी के हित धारकों की भागीदारी के माध्यम से प्रबंधन के प्रभावी सामाजिक सिद्धातों को विकसित करना होगा ताकि इस शिक्षा नीति का उद्दे य 21वीं सदी की आव यकताओं के अनुरूप प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा यानि कि सम्पूर्ण शिक्षा समग्र रूप से लचीला बनाते हुए भारत को शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की वै िवक महा ाक्ति के रूप में परिवर्तित करना है। इस तरह राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतवर्श को पुनः वि वगुरू बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

आई0एएस0 ध्येय मंथली जिस्ट योजना फरवरी 2022, दिल्ली पृ०सं० 01–05

मीना, शर्मा, मोनिका, नए भारत की नीव–राश्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 हंस भाोध सुधा **Vol,9,Issue-3,** *जनवरी–मार्च 2021 पृ०सं० 59*

70–भारत में शिक्षा पद्धति राश्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 : एक विमर्श

सिंह, बिरेंद्र, देवी, कुकन, उच्च शिक्षा के विशेश संदर्भ में राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृश्टि, **IJRAR,Vol,9,Issue-1,** *जनवरी 2022 पृ०सं० 17*

राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, पृ०सं०–8

मिश्र, गिरी वर, नई शिक्षा नीति : संभावनाएं और चुनौतियां, कंचनजंद्या : पीआर रिव्यूड जर्नल, वर्श 01, अंक 02, जुलाई–दिसम्बर 2020 पृ०सं० 69–70

https://www.gogle.com/ur|?sa=t&soirce=web&rct=.j&opi=89978449&url=https://s3-ap-south-1.amazonzws.com/adda247jobs-wpassets-adda247/jobswp-content/uplods/sists/13/2020/08/18163826/formatted–National -Education -policy -2020-shiffed –from -10. pdf&ved=2ahUkewi9sDYAxXpx-DgGHZZXMGDGQFnoECC8QA&usg=AOvVaw1gh_oMQ6BVUTFLN-4VtAbma

https://www.gogle.com/ur|?sa=t&source=web&rct=.j&opi=88978449&url=https://www.drishtiias.com/hindi/pdf/1598358863-new-education-policy.pdf&ved=2ahUKEwi9s-cDYptS DA x X P x D g G H Z Z X D M G Q F n o E C B Y Q &usg=AOvVaw3ct8Hz3qbjjEHuT9uUcRhs

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies